राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, जयपुर राजस्थान के समक्ष

याचिका सं. ....

<u>के मामले में</u>

मैसर्स जेएसडब्ल्यू एनर्जी (बाड़मेर) लिमिटेड (इससे पूर्व राजवेस्ट पावर लिमिटेड) के 1080 मेगावॉट (8 X 135 मेगावॉट) लिग्नाइट आधारित थर्मल विद्युत उत्पादन केन्द्र को वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए,कपूरड़ी एवं जालिपा खान से लिग्नाइट की आपूर्ति हेतु राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग विनियम, 2025 (इससे आगे ''टैरिफ विनियम'' के रूप में निर्दिष्ट) के विनियम 11(8) के अन्तर्गत लिग्नाइट की अन्तरण कीमत विनिर्धारण हेतु याचिका।

तथा

के मामले में

मै. बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कम्पनी लिमिटेड (बी.एल.एम.सी.एल.)
कार्यालय सं. 2 एवं 3, 7वीं मंजिल,मान उपासना प्लाजा,
सी–44, सरदार पटेल मार्ग, सी– स्कीम, जयपुर

<u>याचिकाकर्ता</u>

बनाम

1. **जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ (जेवीवीएनएल)**
   विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर।
2. **अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ (एवीवीएनएल)**
   ओल्ड पावर हाउस, हाथी भाटा, अजमेर।
3. **जोधुपर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ (जेडीवीवीएनएल)**
   न्यू पावर हाउस, इण्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर।
4. **मै. जेएसडब्ल्यू एनर्जी (बाड़मेर) लि. (इससे पूर्व राजवेस्ट पावर लि.)**
   कार्यालय सं. 2 एवं 3, 7वीं मंजिल, मान उपासना प्लाजा,
   सी–44, सरदार पटेल मार्ग, सी– स्कीम, जयपुर

<u>प्रतिवादी</u>

माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण,

1 याचिकाकर्ता मैसर्स बाड़मेर लिग्नाइट माईनिंग कम्पनी लिमिटेड (जिसको आगे ''बी.एल.एम.सी. एल.'' या याचिकाकर्ता के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) कम्पनीज अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निगमित एक सरकारी कम्पनी है, और इसे कपूरड़ी एवं जालिपा खानों का आवंटन किया गया था, जो केप्टिव आधार पर मैसर्स जेएसडब्ल्यू एनर्जी (बाड़मेर) लिमिटेड (इससे पूर्व राजवेस्ट पावर लिमिटेड. (जिसको आगे जेएसडब्ल्यूईबीएल के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) द्वारा राजस्थान के बाड़मेर जिले के भादरेश गॉव में स्थापित किये गये 1080 मेगावाट के लिग्नाइट तापीय विद्युत संयत्र को माननीय आयोग द्वारा विनिर्धारित किये जाने वाली कीमत पर लिग्नाइट की आपूर्ति करेगी ।

2. नोटिसों के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता एवं प्रतिवादियों के पते वाद शीर्षक में यथोल्लिखित हैं।

3. याचिकाकर्ता नें 28.01.2011 को जालिपा एवं कपूरड़ी खानों से राज वेस्टपॉवर लिमिटेड़, बाड़मेर के लिग्नाइट तापीय विद्युत सयंत्र को वित्तिय वर्ष 2011–12 के लिए लिग्नाइट की आपूर्ति हेतु लिग्नाइट की अनतरण कीमत के निर्धारण हेतू याचिका (याचिका संख्या 245/11) दायर की थी। इस याचिका पर माननीय आयोग नें दिनांक 17.08.2011 को एक आदेश पारित किया, जो अन्य बातों के साथ प्रावधान करता है कि :–

(i) 2006 के आदेश में दिये गये निर्देशानुसार आउट सोर्सिंग के लिए नयी बोली की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा।

(ii) आउट सोर्सिंग बोली की कार्यवाही केवल कपूरडी खान के लिए ही होगी क्योंकि याचिका में उल्लेख के अनुसार जालिपा खान वित्तीय वर्ष 2013–14 से पूर्व परिचालन में नहीं आ पायेगीः

(iii) ''................................ लिग्नाइट अन्तरण कीमत के विनिर्धारण हेतु कथित बोली कार्यवाही पूर्ण होने पर, एक अनुपूरक याचिका दायर किया जाना जरूरी होगा'' तथा

(iv) बी.एल.एम.सी.एल., आर.एस.एम.एम.एल. द्वारा संचालित लिग्नाइट खानों के आधार पर निरावृत अनुपात, खान की गहराई तथा अन्य सुसंगत प्राचलों में परिवर्तन के उचित समायोजन के साथ लिग्नाइट उत्खनन की लागत का परिकलन करेगी, और उसे आयोग को आऊटसोर्सिंग के पारदर्शी बोली आधारित लिग्नाइट की अन्तरण कीमत को अन्तिम रूप न दिये जाने तक, अन्तरिम अवधि के लिए लिग्नाइट की अन्तरण कीमत के परिकलन हेतु प्रस्तुत कर सकती है।

4. पिछले वर्षों में लिग्नाइट का हस्तांतरण मूल्य केवल एडहॉक आधार पर ही अदा किया गया है। लिग्नाइट के हस्तांतरण मूल्य के निर्धारण के मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों/प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेश और इतिहास **अनुलग्नक –03** पर संलग्न है।

5. माननीय आयोग ने अगली नियन्त्रणावधि वित्तीय वर्ष 2025–26 से वित्तीय वर्ष 2029–30 के लिए आर.ई.आर.सी. (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2025, 18.02.2025 प्रकाशित किये हैं और 06.03.2025 को शासकीय गजट में अधिसूचित कर दिये थे।

6. टैरिफ विनियमों, 2025 के विनियम 6 के अनुसार, याचिकाकर्ता को आगामी वर्ष के लिये कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) की मंजूरी एवं अंतरण मूल्य के निर्धारण हेतु अंतरण मूल्य याचिका वर्तमान वर्ष के 30 नवंबर तक दायर करना आवश्यक है।

बशर्ते कि प्रत्येक उत्पादन कंपनी द्वारा प्रत्येक उत्पादन स्टेशन/इकाई(यों), लाइसेंसधारी और एसएलडीसी के संबंध में नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए एआरआर के अनुमोदन और टैरिफ के निर्धारण के लिए आवेदन आधिकारिक राजपत्र में इन विनियमों की अधिसूचना की दिनांक से चार सप्ताह के भीतर दायर किया चाहिए:

7. जेएसडब्ल्यू एनर्जी (बाड़मेर) लिमिटेड (पूर्व में राज वेस्टपॉवर लिमिटेड) को लिग्नाइट की निरंतर आपूर्ति, राजस्थान राज्य को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए तापीय घर के सुचारू और निरंतर संचालन के दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए, याचिकाकर्ता टैरिफ विनियम के विनियम 11(8) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए कपूरड़ी और जालिपा खानों से लिग्नाइट के अंतरण मूल्य के निर्धारण के लिए, वर्तमान याचिका दायर कर रहा है।

8. आगे, चूंकि हस्तांतरण मूल्य का अंतिम निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है, और जैसा कि पिछले वर्षों में किया गया है, वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए लिग्नाइट की एडहॉक अन्तरण कीमत के परिकलन करने के लिए, याचिकाकर्ता ने कपूरडी के लिए एमडीओ लागत, सोनारी खानों से बहिर्वेशन दरों के आधार पर कपूरडी खान की विशिष्ट खान विशेषताओं के उचित समायोजन के साथ मानी है, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में इस माननीय आयोग द्वारा निर्देशित किया था । कपूरड़ी खानों की उपरोक्त निष्कर्षण लागत को जालिपा खानों के लिए भी माना गया है।

9. विशिष्ट पहलुओं पर याचिकाकर्ता की प्रस्तुतियां तथा प्रार्थनायें निम्नानुसार है :

क. **निष्कर्षण की लागत** :– याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि माननीय आयोग ने दिनांक 17.08.2011 के अपने आदेश द्वारा आरएसएमएमएल की अभी हाल में खोली गई खानों के निष्कर्षण लागत पर आधारित एक तदर्थ अन्तरिम अन्तरण कीमत पर विचार करना प्रस्तावित किया है। जैसा कि पहले बताया गया है, याचिकाकर्ता ने तद्नुसार कपूरड़ी खान से लिग्नाइट निकालने के गणना, आरएसएमएमएल की अपनी सोनारी लिग्नाइट खानों के लिए निविदा के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी सबसे कम बोली के आधार पर की थी, जिसमें निरावृत अनुपात, खान की गहराई और कपूरडी खान के संबंधित अन्य सुसंगत मापदंडों के लिए उचित समायोजन किया गया था, जिसके मापदंड सोनारी खान से भिन्न हैं। ऐसे बहिर्वेशन पर आधारित लिग्नाइट की निष्कर्षण लागत 30 वर्षीय संविदा अवधि (**1098.61 रू./मै. टन**) तथा 7 वर्षीय संविदावधि (**1198.93 रू./मै.टन**)

दोनो के लिए परिकलित कर इस माननीय आयोग को 06.09.2011 को प्रस्तुत की गई थी। इसे श्री एन.एस. बोहरा (पूर्व निदेशक खान एवं भू–गर्भ राजस्थान सरकार) द्वारा विधिवत् जांचों तथा मण्डल द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया गया था। दिनांक 03.09.2011 की श्री एन.एस. बोहरा की रिपोर्ट की प्रतिलिपि इसके साथ **अनुलग्नक–4** पर संलग्न है।

इस निष्कर्षण लागत को आगे वर्तमान उपलब्ध खान/उत्खनन/धातुकर्मीय मशीन/पुर्जे की ताजा थोक सूची, औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचंकाक और सितम्बर, 2025 में डीजल के मूल्य में आये बदलाव के आधार पर स्फीति हेतु बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार वित्त वर्ष 2026–27 के लिए निष्कर्षण लागत की परिणामतः गणना **रू. 1587.62/मैट्रिक** टन की गई, इसमें 30 वर्ष आधारित निष्कर्षण लागत **1098.61/मैट्रिक टन** को ध्यान में रखा गया था। (विवरण **अनुलग्नक–5** पर संलग्न है)।

वर्तमान याचिका के उद्देश्य से, जालिपा की निष्कर्षण लागत कपूरड़ी के समान ही विचार की गई है। दोनों खानों के लिए निष्कर्षण लागत एमडीओ शुल्क के अंतिम रूप दिये जाने के बाद, समायोजन के अध्यधीन होगी जो कि माननीय आयोग के समक्ष अधिनिर्णय हेतु लंबित है।

ख. **<u>पूंजी लागत</u>** :– याचिकाकर्ता इसके साथ, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए अपने नवीनतम अंकेक्षित लेखे (अन्तिम वर्ष जिसके लिए अंकेक्षित लेखे उपलब्ध हैं) **अनुलग्नक 06** के रूप में, दायर कर रहा है।

कपूरड़ी लिग्नाइट खान पर प्राक्कलित पूंजीगत लागत **5385.72 मिलियन रू.** होना प्रत्याशित है, (विरण **अनुलग्नक –7** पर संलग्न है) जिसमें से 30.09.2025 तक **4946.80 मिलियन रू.** का पूंजीगत खर्च पहले ही किया जा चुका है, जिसका प्रमाणन वैधानिक अंकेक्षक, मैसर्स पारख एण्ड कम्पनी, चार्टेड एकाउनटेन्ट्स द्वारा किया गया है। (प्रमाण पत्र **अनुलग्नक 08** पर संलग्न है)

जालिपा लिग्नाइट खान के लिए प्राक्कलित पूंजीगत लागत **20887.70 मिलियन रू.** होना प्रत्याशित है, (विवरण ऊपर **अनुलग्नक 07** पर संलग्न है) जिसमें से 30.09.2025 तक **19706.46 मिलियन रू.** का पूंजीगत खर्च किया जा चुका है, जिसका प्रमाणन वैधानिक अंकेक्षक, मैसर्स पारख एण्ड कम्पनी, चार्टेड एकाउनटेन्ट्स द्वारा किया गया है। (प्रमाण पत्र ऊपर **अनुलग्नक 08** पर संलग्न है)

वाणिज्यिक परिचालन तिथि (अर्थात् 10.10.2011) को कपूरड़ी खान पर पूंजीकृत लागत **3747.10 मिलियन रूपये** को, बाद में **1187.07 मिलियन रूपये** के पूंजीकरण के साथ

कुल मिलाकर **4934.17 मिलियन रूपये** को वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए लिग्नाइट की अन्तरण कीमत के परिकलन हेतु माना है।

वाणिज्यिक परिचालन तिथि को जालिपा खानों की पूंजीकृत लागत (अर्थात् 01.11.2017 को) **16484.50 मिलियन रू.** बाद में **2624.53 मिलियन रू.** के पश्चात्वर्ती पूंजीकरण के साथ कुल मिलाकर **19109.03 मिलियन रू.** वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए लिग्नाइट की अन्तरण कीमत के परिकलन हेतु मानी गयी है।

ग. **<u>उत्पादन</u>** :– याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि अनुमोदित माइनिंग प्लान के आधार पर कपूरड़ी खान से 4.00 मिलियन टन प्रतिवर्ष तथा जलीपा खान से 2.85 मिलियन टन प्रतिवर्ष खनन, वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए अन्तरण कीमत के परिकलन तथा स्थाई लागत की वसूली हेतु माना है। उच्चतर/निम्नतर उत्पादन के कारण स्थाई लागत की वसूली में किसी प्रकार की भिन्नता का ट्रयू–अप की प्रक्रिया में समायोजन कर लिया जायेगा।

घ **<u>सीएसआर प्रभार</u>** :– कपूरड़ी खानों के 3.75 और 7.00 मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक के लिए संशोधित पर्यावरणीय क्लीयरेन्स में, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सीएसआर प्रभार (जो अब कॉर्पोरेट पर्यावरणीय जिम्मेदारी (सीईआर) जानी जाती है) न्यूनतम 5 रूपए प्रति मैट्रिक टन वार्षिक मुदास्फीति के साथ निर्धारित की है। तद्नुसार, वित्त वर्ष 2026–27 में अनुमानित सीएसआर/सीईआर प्रभार सितम्बर, 2025 के डब्ल्यूपीआई के आधार पर 27.22 मिलियन रूपये (4.0 मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक x 6.81 रू. प्रति टन) माना गया है। कपूरड़ी खानों के लिए सीएसआर/सीईआर प्रभार 27.22 मिलियन माना गया है। (वितरण **अनुलग्नक – 09** पर उपलब्ध है।)

जालिपा खानों के 6.00 मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक की पर्यावरणीय क्लीयरेन्स दिनांक 29.04.2010 में, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने न्यूनतम 3 करोड़ वार्षिक या लिग्नाइट के 5 रूपऐ प्रति टन (जो भी अधिक हो) आवर्ती व्यय सीएसआर/सीईआर के रूप में करने का प्रावधान किया था। तदानुसार, सीएसआर/सीईआर प्रभार 30.00 मिलियन रूपए (30 मिलियन रूपये और 14.25 मिलियन रूपये (2.85 मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक x 5 रूपये) जो भी अधिक हो) वित्त वर्ष 2026–27 के लिए माना गया है।

ड. **<u>खानबन्दी प्रभार</u>** :– कपूरड़ी खान के लिए संशोधित खनन योजना 7.00 एम.टी.पी.ए. तथा मई 2013 की माइन क्लोजर प्लान संशोधन–1 में खान का जीवन काल 31 वर्ष माना है, तदानुसार वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए संशोधित खान बन्द करने के प्रभार 2011–12 को प्रचालन का प्रथम वर्ष मानते हुये परिकलित किये गये हैं (वितरण **अनुलग्नक – 10** पर उपलब्ध है।)।

जालिपा खान के लिए, अप्रेल 2011 के माइन क्लोजर प्लान में खान की अवधि 55 वर्ष मानी है। तदानुसार जालिपा खान के लिए खान बन्दी प्रभार की गणना वित्त वर्ष 2026–27 हेतु, वित्त वर्ष 2016–17 को खान बन्दी प्रभार जमा कराने के उद्देश्य से पहला वर्ष मानते हुए की गई है, क्योंकि याचिकाकर्ता को खान खोलने की अनुमति वित्त वर्ष 2016–17 में प्राप्त हुई थी। (विवरण **अनुलग्नक 10** पर उपलब्ध है)।

च. **कर्ज : साम्यानुपात : :**– परियोजना लागत का किया जाने वाला निधियन 70 प्रतिशत, सावधित ऋण रूपये के माध्यम से तथा शेष 30 प्रतिशत अधीनस्थ कर्ज तथा साम्या के माध्यम से है। 200 मिलियन रू. की अभिदत्त साम्या का नियतन कपूरड़ी तथा जालिपा खानों के बीच उनकी क्रमशः 3.00 तथा 6.00 मिलियन टन प्रतिवर्ष की नामिक दीर्धकालीन खनन क्षमता के अनुपात में अर्थात् 66.67 मिलियन रूपये तथा 133.33 मिलियन रूपये का किया गया है।

छ. **साम्या पर प्रतिफल** :– टैरिफ विनियम, 2025 के विनियम 20(2) के अनुसार साम्या पर प्रतिफल (आर.ओ.ई.) 15.00 प्रतिशत की दर पर माना गया है।

आर.ई.आर.सी. टैरिफ विनियम, 2025 का विनियम 28 अन्य बातों के साथ उपबन्ध करता है कि इस माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित साम्या पर प्रतिफल के सदृश आय पर कर वसूल किया जायेगा। इसलिए याचिकाकर्ता, लागू कर की दर अर्थात् निगम कर दर जो वर्तमान में 25.1680 प्रतिशत है, के दावे का पात्र है। तद्नुसार, कर पश्चसाम्या पर प्रतिफल की गणना, साम्या पर प्रतिफल पर प्रयोज्य निगम कर दर के आधार पर की गई है, जो 20.0449 प्रतिशत (अर्थात् 15.00 प्रतिशत – (1–25.1680 प्रतिशत) के बराबर है। (विस्तृतियां **अनुलग्नक** –11 पर संलग्न है)

ज. **सावधि ऋण पर ब्याज की दर** :– आरईआरसी टैरिफ विनियम, 2025 का विनियम 21(5) अन्य बातों के साथ उपबन्ध करता है कि ब्याज की दर, प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में वास्तविक ऋण वर्ग के आधार पर परिकलित ब्याज की भारित औसत दर होगी। चूंकि याचिकाकर्ता वर्तमान अन्तरण कीमत याचिका वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये दायर कर रहा है और वित्तीय वर्ष 2025–26 अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए उधारदाताओं द्वारा उनके वित्त पोषण प्रलेख 01.10.2025 तक के अनुसार प्रभारित की जा रही ब्याज की भारित औसत दर जो 09.35 प्रतिशत प्रति वर्ष परिकलित होती है (विवरण **अनुलग्नक – 12** पर उपलब्ध है) इस याचिका के लिए मानी गयी

झ. **ब्याज प्रभार :** वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए ब्याज प्रभार, टैरिफ विनियम, 2025 के विनियम 21(3) में यथोपबन्धित ह्रास/परिशोधन के बराबर ऋण चुकौती मानते हुये, परिकलित किये गये हैं। (विस्तृतियां **अनुलग्नक**– 13 पर हैं।)

ञ. **ह्रास तथा परिशोधन** :– ह्रास का परिकलन आर.ई.आर.सी. टैरिफ विनियम, 2025 में निर्धारित की गयी दरों के अनुसार किया गया है। खनन भूमि पर सरफेस राइट एवं

विकास व्यय के रूप में हुये खर्चों का परिशोधन खान की लीज अवधि के शेष जीवन काल के अनुसार विद्युत संयन्त्र को ईंधन आपूर्ति की समाप्ति तिथि को ध्यान में रखते हुये माने गये हैं। (विस्तृतियां **अनुलग्नक**–14 पर संलग्न है)

ट. **कार्यशील पूंजी के लिए ब्याज दर** :– आर.ई.आर.सी. टैरिफ विनियम, 2025 के विनियमन 26(2) में यह प्रावधान है कि कार्यशील पूँजी पर ब्याज दर मानक आधार पर होगी और इसे 01.04.2025 को या टैरिफ अवधि 2026–30 के दौरान उस वर्ष की 01 अप्रैल को, ब्याज की संदर्भ दर (अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की समय–समय पर जारी एक वर्ष की निधि आधारित लेण्डिंग दर (जिसे बाद में एमसीएलआर से सदर्भित किया जाएगा)) प्लस 325 आधार अंक) पर माना जायेगा, जिसमें जनरेटिंग स्टेशन या उसकी एक इकाई या ट्रांसमिशन सिस्टम/एसएलडीसी/वितरण प्रणाली, जैसा भी मामला हो, वाणिज्यिक संचालन के तहत घोषित की जाती है, जो भी बाद में हो।

उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका में 01.04.2025 तक प्रचलित ब्याज दर पर विचार किया है। तद्नुसार, वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज की दर की गणना 01.04.2025 को प्रचलित एसबीआई की एक वर्षीय एमसीएलआर में 325 आधार अंक जोड़कर की गई है, जो आर.ई.आर.सी. टैरिफ विनियम, 2025 के विनियम 26(2) के अनुसार 12.25 प्रतिशत होती है। (विवरण **अनुलग्नक – 15** पर उपलब्ध है)।

ठ. **कार्यशील पूंजी की आवश्यकता** :– कार्यशील पूंजी आवश्यकता आर.ई.आर.सी.टैरिफ विनियम 2025 के अनुसार 1.5 महीनें की प्राप्यताओं तथा एक महीने के परिचालन एवं रख–रखाव प्रभारों के रूप में मानी गयी हैं। (विस्तृतियां **अनुलग्नक–** 16 पर संलग्न है)

ड. **प्रशासनिक व्यय** :– प्रशासनिक व्यय मूलभूत लिग्नाइट निष्कर्षण लागत के 1 प्रतिशत के रूप में माने गऐ है।

ढ. **आर.ओ. संयत्र प्रभार** :– मैदानी जल, खान क्षेत्र में उच्च लवणीय होता है, और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अपनी अनुमति में उपबन्ध किया है कि इस जल को उपयोग से पूर्व एक आर.ओ. संयत्र से प्रक्रियागत किया जाए। तद्नुसार, याचिकाकर्ता ने खनन परियोजना को पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने के दौरान तय की गई उक्त शर्त की अनुपालना में कपूरड़ी खान पर 3 एम.एल.डी. का आर.ओ. संयत्र स्थापित किया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता ने कपूरड़ी खानों के लिए वित्त वर्ष 2026–27 के लिए आर.ओ. संयत्र रखरखाव शुल्क के रूप में 33.19 मिलियन रू. माना है, जो कि मैसर्स त्रिवेणी इन्जीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड़ और

याचिकाकर्ता के मध्य दिनांक 19.09.2013 को इस हेतु निष्पादित परिचालन एवं संधारण अनुबंध पर आधारित है। उक्त अनुबंध की एक प्रति, माननीय आयोग को याचिकाकर्ता द्वारा याचिका संख्या 608/16 एवं 609/16 में डेटागेप के जवाब के साथ दिनांक 13.12.2016 को प्रस्तुत कर दी गई है।

कपूरड़ी खान के लिए इस याचिका में माने गये आर.ओ. सयंत्र प्रभार का विवरण संलग्न पत्र में **अनुलग्नक – 17** पर उपलब्ध है।

इसके अलावा जालिपा खान में पर्यावरणीय एवं वन मंत्रालय द्वारा खनन परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी देते समय लगाई गई शर्त की अनुपालना में आर.ओ.सयंत्र की स्थापना भी वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान पूरी कर ली गई है।

उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता तथा मै. त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के बीच हुये अनुबन्ध दिनांक 30.07.2018 के आधार पर जालिपा खानों से वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए आरओ संयन्त्र संधारण प्रभार 103.00 मिलियन रू. माने हैं। (कृपया देखें उपरोक्त संलग्न **अनुलग्नक**– 17)

ण. <u>**लिग्नाइट का सकल उष्मीयमान (जीसीवी)**</u> :– याचिकाकर्ता ने इस माननीय आयोग से कपूरड़ी खान के लिए 2693 किलोकैलोरी/किग्रा का जी.सी.वी. अनुज्ञात करने का निवेदन किया। तथापि, 30.09.2011 के आदेश द्वारा, इस माननीय आयोग ने कपूरड़ी खान के लिए तत्कालीन अनुमोदित खनन योजना के आधार पर लिग्नाइट के लिए 2732 किलोकैलोरी/किग्रा जी.सी.वी. अनुज्ञात की। कोयला मन्त्रालय ने 7 एम.टी.पी.ए. के लिए हाल ही में अनुमोदित की गयी खान योजना में कपूरडी खान के लिए जीसीवी 2692 किलो कैलोरी/किग्रा मानी और जालिपा खान के लिए जीसीवी 2777 किलो कैलोरी/किग्रा खनन परियोजना अनुमति दिनांक 02.04.2008 के द्वारा अनुमोदित की है।

खनन परियोजना के प्रस्तुति/अनुमति के पश्चात्, एमईसीएल ने कुछ और अन्वेषण किये । तदानुसार, याचिकाकर्ता के निर्देशक मण्डल ने यह कार्य आर.एस.एम.एम.एल. को सौंप दिया कि वह हाल ही में अन्वेषित डेटा के आधार पर दोनों खानों का वास्तविक जीसीवी पता करे। आर.एस.एम.एम.एल. ने अपने पत्र दिनांक 20.09.2010 (प्रति संलग्न **अनुलग्नक –18** के रूप में उपलब्ध है) द्वारा कपूरड़ी का वास्तविक औसत जीसीवी 2693 किलो कैलोरी/किग्रा और जालिपा का जीसीवी 2895 किलो कैलोरी/किग्रा माना है, जो दोनों खानों से हाल में अन्वेषित डेटा पर आधारित है।

आर.एस.एम.एम.एल. की उक्त रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता ने, याचिकाकर्ता और जेएसडब्ल्यूएनर्जी (बाड़मेर) लिमिटेड (पूर्व में राजवेस्ट पावर लिमिटेड) (उत्पादन कम्पनी) के मध्य हस्ताक्षरित ईधन आपूर्ति अनुबंध में उपयुक्त परिवर्तन किए।

इस प्रकार, उपरोक्तानुसार वर्तमान याचिका में ईधन आपूर्ति अनुबंध के अनुसार कपूरड़ी खान से लिग्नाइट के लिए जी.सी.वी. 2693 किलो कैलोरी/किग्रा और जालिपा खान से लिग्नाइट के लिए 2895 किलो कैलोरी/किग्रा जीसीवी,मानी गई है।

तदानुसार, वित्त वर्ष 2026–27 के लिए भारित औसत जी.सी.वी., 2777.04 किलो कैलोरी/किग्रा {(2693 x 4.00 + 2895 x 2.85)/6.85} निकाली गई है (कृपया देखें **अनुलग्नक–19** प्रतिमानक एवं पूर्वधारणा)।

यह ध्यान देने योग्य है कि, याचिकाकर्ता द्वारा जेएसडब्ल्यूएनर्जी (बाड़मेर) लिमिटेड (पूर्व में राज वेस्टपॉवर लिमिटेड) (उत्पादन कम्पनी) के साथ ईधन आपूर्ति अनुबंध के अनुसार लिग्नाइट का मूल्य, लिग्नाइट की वास्तविक जीसीवी के अनुसार बदलेगा।

त. **पुर्नवित्त के आधार पर ब्याज में बचत** :–

विनियम 2014 का विनियम 21(7) उपाबन्धित करता है कि एक कम्पनी को वास्तविक ऋण को इसके ब्याज पर निवल बचत का परिणामी होने तक पुनवित्तीय के सभी प्रयास करने चाहिए और उस दशा में ऐसे पुनवित्तीयन से सम्बद्ध लागतें लाभार्थियों द्वारा वहन की जायेगी तथा ब्याज पर निवल बचत को लाभार्थियों एवं उत्पादन कम्पनी के बीच 2:1 के अनुपात में साझा की जायेगी।

तदानुसार, याचिकाकर्ता ने वित्त वर्ष 2017–18 के विद्यमान ऋणों के पुर्नवित्तीयन की प्रक्रिया शुरू की, जिससे कि अवधि ऋण पर ब्याज का भार कम हो सके। इस प्रक्रिया में याचिकाकर्ता अब तक 80.65 मिलियन रूपये पुनर्वित्तीयन की लागत के प्रति उपगत कर चुका है और विनियम के अनुसार यह लागत लाभार्थियों द्वारा वहन की जायेगी। इन प्रयासो के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2017–18 में रूपये 45.35 मिलियन और वित्त वर्ष 2018–19 में रूपये 77.95 मिलियन, वित्तीय वर्ष 2019–20 में 71.9652 मिलियन रू., वित्तीय वर्ष 2020–21 में 65.5994 मिलियन रूपये, वित्तीय वर्ष 2021–22 में 59. 4239 मिलियन रूपये, वित्तीय वर्ष 2022–23 में 53.2484 मिलियन रूपये, वित्तीय वर्ष 2023–24 में 47.1955 मिलियन रूपये तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 में 40.8974 मिलियन रूपये, वित्तीय वर्ष 2025–26 में 34.7219 मिलियन रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2026–27 में 28.5464 मिलियन रूपये निवल ब्याज की बचत होगी। याचिकाकर्ता एतद्द्वारा निवेदन करता है कि सम्बन्धित वर्षों का अंतरण मूल्य विनिर्धारण, जो अभी भी लम्बित है, करते समय ऊपर यथोल्लिखित पुनवित्तीयन की लागत तथा ब्याज बचत की हिस्सेदारी पर विचार किया जाये।

उक्त वर्तमान याचिका के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2026–27 में अनुमानतः **रूपये 28.5464 मिलियन** का पुर्नवित्तीयन लाभ माना गया है। इसका विभाजन लाभार्थियों और याचिकाकर्ता के मध्य 2:1 के अनुपात में होगा।

आगे, याचिकाकर्ता ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए अपने पुर्नवित्तीयन के लाभ के हिस्से रूपये 9.52 मिलियन को कपूरड़ी और जालिपा खानों के मध्य उनके सामान्य दीर्घ अवधि खनन क्षमता अनुपात 3.0 और 6.00 मिलियन टन वार्षिक के आधार पर, जो कि रूपये 3.17 मिलियन और रूपये 6.34 मिलियन क्रमशः है, में बाँटा गया है।

थ . **<u>मार्गस्थ हानि</u>** :– मार्गस्थ एवं संचालन हानि आरईआरसी टैरिफ विनियम, 2025 के अनुसार 0.20 प्रतिशत की दर पर मानी गई है।

द. **<u>वैधानिक उद्ग्राह्यताए, कर एवं शुल्क आदि</u>** :– यथा प्रचलित सभी कर, ड्यूटीज तथा वैधानिक उद्ग्राह्यताए आदि, मानी गई है।

10. **अन्तरण मूल्य** : उपरोक्त के आधार पर, वित्त वर्ष 2026–27 के लिए अन्तरण मूल्य कपूरड़ी खान हेतु रूपये 2378.35/मैट्रिक टन 2693 किलो कैलोरी/किग्रा जी.सी.वी के लिए, जालिपा खान हेतु रूपये 3293.94/मैट्रिक टन 2895 किलो कैलोरी/किग्रा जी.सी.वी के लिए, और कपूरड़ी एवं जालिपा खानों हेतु रूपये 2759.29/मैट्रिक टन संयुक्त रूप से भारित औसत जीसीवी 2777.04 किलो कैलोरी/किग्रा के लिए माना गया है। (संदर्भित **अनुलग्नक – 20**)।

प्रार्थना

11. उपरोक्त वर्णित कारणों से, माननीय आयोग से यह अनुरोध है कि वहः

(क) जेएसडब्ल्यू एनर्जी (बाड़मेर) लिमिटेड (इससे पूर्व में : राज वेस्टपॉवर लिमिटेड़) के उत्पादन केन्द्र को आपूर्ति हेतु लिग्नाइट की अन्तरण कीमत कपूरड़ी खान हेतु **रूपये 2378.35/मैट्रिक टन** 2693 किलो कैलोरी/किग्रा जी.सी.वी के लिए, जालिपा हेतु **रूपये 3293.94/मैट्रिक टन** 2895 किलो कैलोरी/किग्रा जी.सी.वी के लिए और कपूरड़ी एवं जालिपा हेतु **रूपये 2759.29/मैट्रिक टन** संयुक्त रूप से भारित औसत जीसीवी **2777.04 किलो कैलोरी/किग्रा** के लिए, वित्त वर्ष 2026–27 के लिए विनिर्धारित करे;

(ख) वित्तीय वर्ष 2026–27 के हस्तान्तरण मूल्य निर्धारण के लंबित रहते हुए कपूरड़ी एवं जालिपा लिग्नाइट खानों से लिग्नाइट का तदर्थ हस्तान्तरण मूल्य रॉयल्टी, करों एवं शुल्कों से पहले,प्लस अनुमत वास्तविक कर पर याचिकाकृत मूल्य का 85% हो, जो कि माननीय एपटेल द्वारा अपील संख्या 137/2018 में पारित आदेश दिनांक 08.08.2018, 05.02.2020 एवं 07.10.2022 और जैसा कि प्रतिवादी डिस्कॉम्स द्वारा भुगतान किए जाने के लिये वचन दिया गया है के अनुसरण में हो, जो वित्त वर्ष 2026–27 के लिये भी

लागू है, जब तक कि लिग्नाइट हस्तांतरण मूल्य का अंतिम निर्धारण ना हो जाये और वर्तमान याचिका का निपटारा इस माननीय आयोग द्वारा कर दिया जाये, याचिकाकर्ता द्वारा जेएसडब्ल्यूएनर्जी (बाड़मेर) लिमिटेड (पूर्व में राजवेस्ट पावर लिमिटेड) (उत्पादन कम्पनी) को लिग्नाइट की आपूर्ति जारी रखने के लिये प्रति समायोजन के अध्यधीन ; और / या

ग. न्याय के हित में माननीय आयोग द्वारा उचित माने जाने वाले ऐसे अन्य आदेश / निर्देश पारित करें।

स्थान – जयपुर
दिनांक –27.11.2025

कृते बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कम्पनी लिमिटेड
याचिकाकर्ता

टिप्पणी :– भाषान्तरण में मूल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।